"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 337] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2005—पौष 6, शक 1927

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक 1614/35/181/पचिप.—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 तथा 54 के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

भाग — एक

प्रारम्भिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 है.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. परिभाषाएं—

(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) ;

(ख) "निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन" से अभिप्रेत है राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन ;

(ग) "प्ररुप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररुप ;

(घ) "नामनिर्देशन या पुनः नामनिर्देशन" से अभिप्रेत है राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए नामनिर्देशन या पुनः नामनिर्देशन ;

(ङ) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है राज्य परिषद् का रजिस्ट्रार ;

(च) "राज्य परिषद्" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 32 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् ;

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा ;

(ज) "अधिकरण" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 45 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण अधिकरण.

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई है और ऊपर पृथकतः परिभाषित नहीं की गई है, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए दिये गये हैं.

भाग — दो

राज्य परिषद् के लिए निर्वाचन

3. निर्वाचन की अधिसूचना—

(1) धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन करने के प्रयोजनों के लिए छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार अपने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों से, जो अधिनियम के अध्याय सात के अधीन रखे गए छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा रजिस्ट्रार (जो इसमें इसके पश्चात् रजिस्ट्रार के नाम से निर्दिष्ट है) में नामांकित है, यह अपेक्षा करेगी कि वे इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार उक्त सदस्यों का निर्वाचन करें.

(2) **नामावली तैयार करना-**

(क) नियम 3 (1) के अधीन अधिसूचना के जारी होने पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रजिस्ट्रार एक नामावली तैयार करेगा जिसमें ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम होगा जिसका कि नाम रजिस्टर में दर्ज है.

(ख) मतदाताओं के नाम उसी क्रम में दर्ज किए जाएंगे जिस क्रम में वे रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं.

(3) **नामावली के प्रारुप का प्रकाशन-**

रजिस्ट्रार, नियम 3 (2) के अधीन तैयार की गई नामावली के प्रारुप को उसकी एक प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और राज्य परिषद् के कार्यालय में सम्प्रदर्शित करके, प्रकाशित करेगा.

(4) **दावों और आक्षेपों को दाखिल करने के लिए कालावधि-**

नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए प्रत्येक दावा और उसमें की किसी प्रविष्टि की बाबत् प्रत्येक आक्षेप को प्रारुप नामावली के नियम 3 (3) के अधीन क्रमशः प्ररुप एक तथा प्ररुप दो में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर दाखिल किया जाएगा.

(5) **दावों और आक्षेपों के प्ररुप तथा उनके निपटारे की रीति-**

(क) प्रत्येक दावा प्ररुप एक में होगा और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो नामावली में अपना नाम सम्मिलित कराना चाहता है.

(ख) नामावली में कोई नाम सम्मिलित करवाए जाने बाबत् प्रत्येक आक्षेप प्ररुप-दो में होगा, और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसका नाम पहले से ही उस नामावली में सम्मिलित है, और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा जिसका नाम भी नामावली में सम्मिलित है.

(ग) यथास्थिति, प्रत्येक ऐसा दावा या आक्षेप रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षण किया जाएगा, जो उस पर अपनी टिप्पणियां अभिलिखित करेगा, जिनका अनुसरण करके वह उस दावे या आक्षेप को या तो अनुज्ञात कर सकेगा या खारिज कर सकेगा.

परन्तु कोई भी दावा या आक्षेप तब तक खारिज नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसने दावा या आक्षेप किया हो, ऐसी खारिजी के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए अवसर न दे दिया गया हो.

(घ) दावे या आक्षेप को अनुज्ञात करने या खारिज करने का रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा.

(6) **नामावली का अन्तिम प्रकाशन—**

(क) रजिस्ट्रार नियम 3(5) के अधीन दावे तथा आक्षेपों, यदि कोई हो, को निपटाने के पश्चात्, उक्त नियम के अधीन अपने विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए और नामावली में की ऐसी किन्हीं लेखन या मुद्रण संबंधी गलतियों या अन्य अशुद्धियों को, जिनका तत्पश्चात् पता चले या जो उसके ध्यान में लाई जाएं, शुद्ध करने के लिए संशोधनों की सूची तैयार करेगा.

(ख) रजिस्ट्रार संशोधनों की सूची के साथ नामावली को राज्य परिषद् के कार्यालय में उसकी एक पूरी प्रति निरीक्षण के लिए उपलब्ध करके और सम्प्रदर्शित करके प्रकाशित करेगा.

(ग) ऐसे प्रकाशन पर, संशोधनों की सूची सहित नामावली, उन व्यक्तियों की निर्वाचन नामावली रहेगी जो अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन कर सकेंगे.

(घ) उपनियम (ख) के अधीन प्रकाशित संशोधनों की सूची के साथ नामावली की एक प्रति रजिस्ट्रार द्वारा राज्य सरकार को भेजी जायगी.

(7). **रिटर्निंग आफिसर तथा सहायक रिटर्निंग आफिसर—**

(क) राज्य सरकार, नियम 3 (6) के अधीन प्रकाशित निर्वाचन नामावली की प्रति प्राप्त करने पश्चात् एक रिटर्निंग आफिसर पदाभिहित या नामनिर्दिष्ट करेगी जो राज्य सरकार का आफिसर होगा.

(ख) राज्य सरकार किसी रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में एक या अधिक व्यक्तियों को भी नियुक्त कर सकेगी जो राज्य सरकार के आफिसर भी होंगे.

(ग) प्रत्येक सहायक रिटर्निंग आफिसर, रिटर्निंग आफिसर के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए, रिटर्निंग आफिसर के समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का पालन करने के लिए सक्षम होगा :

परन्तु रिटर्निंग आफिसर के जो कृत्य मत-पत्र जारी करने, मत-पत्रों की गणना करने तथा निर्वाचन के परिणामों की घोषणा करने से संबंधित है उनमें से किसी को कोई सहायक रिटर्निंग आफिसर नहीं करेगा.

(8) **नामनिर्देशन आदि के लिए तारीख नियत करना—**

(क) रिटर्निंग आफिसर छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या ऐसी अन्य रीति में, जिसे वह उचित समझे,-

(एक) नामनिर्देशन करने के लिए तारीख, जो उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् सातवें दिन की होगी, या यदि उस दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो सार्वजनिक अवकाश का दिन नहीं है.

(दो) अभ्यर्थिता वापस लेने के लिए अंतिम तारीख नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख के पश्चात् दूसरे दिन की होगी, या वह दिन सार्वजनिक अवकाश का दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो अवकाश का दिन नहीं है.

(तीन) वह तारीख जिसको आवश्यक हो तो मतदान होगा और जो अभ्यर्थिता वापस लेने की नियत अन्तिम तारीख के पश्चात् तीसवें दिन से पूर्वत्तर न होने वाली तारीख होगी.

(चार) मतों की गणना तथा निर्वाचन परिणामों की घोषणा की तारीख, जो मतदान की तारीख से तीसरे दिन के पश्चात् की नहीं होगी, समय तथा स्थान नियत करेगा.

(ख) ऊपर खण्ड (क) के अधीन जारी की गई अधिसूचना द्वारा राज्य परिषद् के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन भी आमंत्रित किए जाएंगे और वह स्थान, जहां नामनिर्देशन-पत्र परिदत्त किए जाने हैं, विनिर्दिष्ट किया जायेगा.

(9) नामनिर्देशन-पत्र प्रस्तुत किया जाना और विधिमान्य नामनिर्देशनों के लिए अपेक्षाएं—

(क) प्रत्येक अभ्यर्थी प्ररुप-तीन में नामनिर्देशन-पत्र रिटर्निंग आफिसर को नियम 3(8) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) के अधीन नियत तारीख को या पूर्व रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा या व्यक्तिश: परिदत्त करेगा.

(ख) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र दो निर्वाचकों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिनमें से एक प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेगा तथा दूसरा समर्थक के रूप में और उनके द्वारा प्रस्थापित तथा समर्पित अभ्यर्थी द्वारा अनुमति दी जाएगी :

परन्तु कोई भी निर्वाचक, भरे जाने वाले स्थानों से अधिक संख्या में नामनिर्देशन-पत्रों द्वारा प्रस्थापक या समर्थक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा.

परन्तु यह और भी कि यदि कोई निर्वाचक भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में नामनिर्देशन-पत्रों पर हस्ताक्षर करता है, तो भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के बराबर वे नामनिर्देशन-पत्र जो कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले प्राप्त किये गए हैं, यदि वे अन्यथा व्यवस्थित है, विधिमान्य ठहराएं जाएंगे और यदि उसी निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित ऐसे समस्त नामनिर्देशन-पत्र भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अधिक संख्या में से, एक साथ ही प्राप्त हो, तो ऐसे समस्त नामनिर्देशन-पत्र अविधिमान्य ठहराए जाएंगे.

(ग) प्रत्येक नामनिर्देशन-पत्र की प्राप्ति पर रिटर्निंग आफिसर उसकी प्राप्ति की तारीख तथा समय उस पर पृष्ठांकित करेगा.

(10) नामनिर्देशन-पत्र का खारिज किया जाना—

कोई भी नामनिर्देशन-पत्र, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा उस निमित्त नियत की गई तारीख को या के पूर्व प्राप्त न हो, खारिज कर दिया जाएगा.

(11) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा—

(क) नामनिर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिए रिटर्निंग आफिसर द्वारा नियत तारीख को तथा समय पर अभ्यर्थी तथा प्रत्येक अभ्यर्थी का प्रस्थापक और समर्थक या अभ्यर्थियों द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत अन्य प्रतिनिधि रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में हाजिर हो सकेंगे, जो उन्हें समस्त अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन-पत्रों की, जो उसने पूर्वोक्तानुसार प्राप्त किए हैं, परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात करेगा.

(ख) रिटर्निंग, आफिसर इस प्रकार प्राप्त नामनिर्देशन-पत्रों की परीक्षा करेगा और उन समस्त प्रश्नों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन की विधिमान्यता के बारे में उद्भूत हो और उस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

(12) अभ्यर्थिता वापस लेना—

(क) कोई भी अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी और रिटर्निंग आफिसर को नियम 3 (8) के खण्ड (क) के उपखण्ड (तीन) के अधीन नियत तारीख के पहले परिदत्त कर दी जाएगी.

(ख) उस अभ्यर्थी को, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस ले ली है, अभ्यर्थिता की वापसी को रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में पुन: नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(13) **निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन—**

(क) रिटर्निंग आफिसर उस कालावधि के, भीतर नियम 3 (12) के अधीन अभ्यर्थिताएं वापस ली जा सकेगी, अवसान के अव्यवहित पश्चात्, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की अर्थात् उन अभ्यर्थियों की, जो विधिमान्यत: नामनिर्दिष्ट थे, और जिन्होने उक्त कालावधि के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, सूची तैयार करेगा और प्रकाशित करेगा.

(ख) उक्त सूची में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम (वर्णक्रम से) और पते, जैसे वे नामनिर्देशन-पत्रों में दिए हुए हैं, अन्तर्विष्ट होंगे.

(ग) उक्त सूची छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी और उसका व्यापक प्रचार ऐसी रीति में किया जाएगा जो कि रिटर्निंग आफिसर उचित समझे.

(14) **मतदान—**

(क) यदि निर्वाचन के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की संख्या निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं है, तो रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण ऐसे अभ्यर्थियों को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा.

(ख) यदि ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या इस प्रकार निर्वाचित किये जाने वाले सदस्यों की संख्या में अधिक है, तो रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम से कम तीस दिन पूर्व ऐसे प्रत्येक निर्वाचक को, जो विदेश में निवास कर रहा हो या वृत्ति कर रहा हो, हवाई डाक से और ऐसे प्रत्येक अन्य निर्वाचक को, जो राज्य के भीतर हो या उसके बाहर हो किन्तु जो देश के भीतर हो, डाक से प्ररुप छह में एक प्रज्ञापना पत्र भेजेगा, जिसके साथ प्रारूप-5 संख्यांकित घोषणा पत्र, प्रारूप-4 में मतपत्र, जिसमें अभ्यर्थियों के नाम वर्णक्रमानुसार अन्तर्विष्ट होंगे और रिटर्निंग आफिसर के अद्याक्षर या अनुलिपि हस्ताक्षर होंगे, और रिटर्निंग आफिसर को संबोधित मतपत्र का लिफाफा तथा उक्त आफिसर की संबोधित एक बाह्य लिफाफा भी होगा :

परन्तु मतदान के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी निर्वाचक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को आवेदन किए जाने पर मतपत्र तथाअन्य संबंधित कागज-पत्र भी उसे उस दशा में भेजे जा सकेंगे जबकि रिटर्निंग आफिसर का यह समाधान हो जाए कि कागज-पत्र उसे नहीं भेजे गए हैं.

(ग) निर्वाचक को भेजे गए ऐसे हर प्रज्ञापना पत्र की बाबत प्रेषण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा.

(घ) वह निर्वाचक, जिसे डाक द्वारा भेजे गए मतपत्र तथा अन्य संबंधित कागज-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं या जिसने उन्हें खो दिया है या वह निर्वाचक, जिसके मामले में कागज-पत्र रिटर्निंग आफिसर को लौटाये जाने के पूर्व अनवाधनता से खराब हो गए हैं, मतदान के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिवस पूर्व रिटर्निंग आफिसर को इस आशय की लिखित घोषणा पारेशित कर सकेगा और यह प्रार्थना कर सकेगा कि उसे नये कागज-पत्र भेज दिए जाये, और यदि कागज-पत्र खराब हो गये हैं तो ऐसे खराब हुए कागज-पत्र रिटर्निंग आफिसर को लौटा दिए जाएंगे जिन्हें वह प्राप्त होने पर रद्द कर देगा.

(ङ) ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें ऐसे नये कागज-पत्र जारी किए गए हैं, निर्वाचक नामावली में निर्वाचक के नाम से संबंधित संख्यांक के सामने एक चिन्ह यह द्योतन करने के लिए लगाया जाएगा कि उसे नये कागज-पत्र जारी किये गए हैं.

(च) कोई भी निर्वाचन इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि किसी निर्वाचक को उसका मतपत्र अन्य संबंधित कागज-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं.

(छ) प्रत्येक निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों को जितने कि स्थान निर्वाचन द्वारा भरे जाने हैं, मत देने का अधिकार होगा और मत अनन्तरणीय होगा.

(ज) प्रत्येक ऐसा निर्वाचक, जो अपना मत अभिलिखित कराना चाहता हो, वह प्रज्ञापना पत्र (प्ररुप छह) में दिए गए निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र (प्ररुप पांच) तथा मतपत्र प्रारुप-चार को भरने के पश्चात् मतपत्र को मतपत्र लिफाफे में बंद करेगा, उसे (लिफाफे को) चिपकाएगा और रिटर्निंग आफिसर को संबोधित बाह्य लिफाफे में उक्त लिफाफे को

घोषणा-पत्र सहित बन्द करेगा और वह बाह्य लिफाफे निर्वाचक अपने स्वयं के खर्च से डाक द्वारा या दस्ती रिटर्निंग आफिसर को ऐसे भेजेगा कि वह उसके पास मतदान के लिए नियत की गई तारीख को मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय तक पहुंच जाए.

(झ) रिटर्निंग आफिसर उक्त लिफाफे के, जिसमें घोषणा पत्र है तथा उस बंद लिफाफे के जिसमें मतपत्र है, डाक द्वारा या दस्ती प्राप्त होने पर बाह्य लिफाफे पर उसकी प्राप्ति की तारीख तथा समय पृष्ठांकित करेगा.

(ञ) उक्त दिन तथा समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले समस्त लिफाफे प्रतिक्षेपित कर दिए जाएंगे.

(15) **लिफाफे का खोला जाना—**

(क) रिटर्निंग आफिसर मतदान के लिए नियत तारीख को मतदान के बन्द होने के लिए नियत समय के अव्यवहित पश्चात् बाह्य लिफाफे को उस स्थान पर खोलेगा जिस स्थान के पते पर वे उसे भेजे गए हैं.

(ख) कोई भी अभ्यर्थी बाह्य लिफाफे खोले जाने के समय व्यक्तिशः उपस्थित रह सकेगा या किसी ऐसे प्रतिनिधि को, जिसे कि उसने लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया हो, उपस्थित रहने के लिए भेज सकेगा.

(16) **मतपत्र लिफाफे का खारिज किया जाना—**

(क) मतपत्र को रिटर्निंग आफिसर द्वारा खारिज कर दिया जाएगा यदि,-

(एक) मतपत्र के लिफाफे के बाहर कोई घोषणा पत्र बाह्य लिफाफे में न हो, या
(दो) घोषणा-पत्र वह नहीं है जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा भेजा गया था, या
(तीन) घोषणा-पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, या
(चार) मतपत्र-मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा गया है, या
(पांच) एक से अधिक घोषणा-पत्र या मतपत्र एक ही बाह्य लिफाफे में बन्द किए गए हैं.

(ख) खारिज करने के प्रत्येक मामले में मतपत्र लिफाफे पर तथा घोषणा-पत्र पर शब्द "खारिज किया गया" पृष्ठांकित किया जायेगा. खारिज करने के कारणों को भी संक्षेप में मतपत्र लिफाफे पर अभिलिखित किया जाएगा.

(ग) रिटर्निंग आफिसर अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि निर्वाचकों ने घोषणा-पत्रों पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, समस्त घोषणा-पत्रों को नियम 3 (19) के अधीन निपटारा होने तक सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा.

(17) **मतों की संवीक्षा और गणना—**

(क) मतों की गणना के लिए नियत तारीख पर, नियम 3(16) के अधीन खारिज किये गए मतपत्र लिफाफे से भिन्न मतपत्र लिफाफे खोले जाएंगे और मतपत्र निकाले जाएंगे तथा उन्हें मिला दिया जाएगा.

(ख) फिर मतपत्रों की संवीक्षा की जाएगी और विधिमान्य मतों की गणना की जाएगी.

(ग) कोई भी अभ्यर्थी, गणना की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए व्यक्तिशः उपस्थित रह सकेगा या किसी ऐसे प्रतिनिधि को, जिसे कि उसने लिखित में सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया हो, उपस्थित रहने के लिए भेज सकेगा.

(घ) मतपत्र अविधिमान्य हो जाएगा, यदि-

(एक) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर या अनुलिपि हस्ताक्षर नहीं है, या
(दो) मतदाता मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिख देता है अथवा उस पर ऐसा कोई चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचाना जा सकता है कि वह उसका मतपत्र है.
(तीन) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है; या
(चार) वह अभिलिखित किए गए मत की अनिश्चितता के कारण शून्य हो गया है, या

(पांच) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचन किए जाने वाली संख्या से अधिक है, या

(छः) मत का अभिलेखन उस स्थान से, जो इस प्रयोजन के लिए उपबंधित है, भिन्न किसी स्थान पर किया गया है.

(ङ) रिटर्निंग आफिसर मतों की संवीक्षा तथा गणना करते समय अभ्यर्थियों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को मतपत्र दिखलाएगा. यदि ऐसी प्रार्थना की जाती है.

(च) यदि कोई अभ्यर्थी या उसका प्रतिनिधि किसी मतपत्र के खारिज करने के संबंध में इस आधार पर आक्षेप करता है कि विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन नहीं किया गया है या रिटर्निंग आफिसर द्वारा किसी मतपत्र के खारिज किये जाने के संबंध में आक्षेप करता है तो उसे (आदेश को) रिटर्निंग आफिसर द्वारा तत्काल विनिश्चित किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

(छ) रिटर्निंग आफिसर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए ऐसे निर्देशों के अनुसार इतनी संख्या में संवेक्षकों नामनिर्दिष्ट करेगा जितनी कि वह उचित समझे.

(18) **परिणामों की घोषणा**—

(क) जब मतों की गणना समाप्त हो जाए तब रिटर्निंग आफिसर ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम मतों के क्रमानुसार तैयार करेगा और भरे जाने वाले स्थानों की संख्या के अनुसार उसी क्रम में सफल अभ्यर्थियों के परिणाम घोषित करेगा.

(ख) यदि इस प्रकार निर्वाचित घोषित किया गया कोई अभ्यर्थी निर्वाचन स्वीकार करने से इन्कार कर देता है तो उस अभ्यर्थी के स्थान पर शेष ऐसे अभ्यर्थियों में से उस अभ्यर्थी को निर्वाचित हुआ समझा जाएगा जिसे उसके ठीक बाद सबसे अधिक संख्या में मत मिले हैं, और जितनी भी बार इस प्रकार कोई रिक्ति हो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

(ग) जब किन्हीं दो या अधिक अभ्यर्थियों के बीच मत बराबर हो तब यथास्थिति उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का, जिसको/जिनको निर्वाचित हुआ समझा जावेगा, अवधारणा रिटर्निंग आफिसर या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसी रीति में लाट डालकर किया जावेगा, जैसा कि वह अवधारित करें.

(घ) रिटर्निंग आफिसर जैसे ही निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की जाती है, प्रत्येक सफल अभ्यर्थी को यह इत्तिला देगा कि वह राज्य परिषद् के लिए निर्वाचित हो गया है.

(19) **मतपत्र प्रतिधारित किये जायेंगे**—

गणना के समाप्त होने पर तथा निर्वाचन परिणाम घोषित होने जाने के पश्चात् रिटर्निंग आफिसर मतपत्रों और निर्वाचन से संबंधित अन्य दस्तावेजों को सील करेगा तथा उन्हें छह मास की कालावधि के लिए प्रतिधारित करेगा और इन अभिलेखों को उक्त छह मास की समाप्ति के पश्चात् भी राज्य सरकार की पूर्व सहमति के बिना नष्ट नहीं करेगा या नष्ट नहीं करवाएगा.

(20) **निर्वाचन के परिणामों की प्रज्ञापना**—

(क) रिटर्निंग आफिसर निर्वाचित अभ्यर्थियों के नामों की प्रज्ञापना राज्य सरकार को देगा ताकि (सरकार) अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके नामों को प्रकाशित कराने की अपनी कानूनी बाध्यता को पूरा कर सके.

(ख) निर्वाचन से संबंधित कोई ऐसा विवाद, जिसे उस निर्वाचन के परिणाम के घोषणा की जाने के पन्द्रह दिन के भीतर रिटर्निंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाए, वह अधिनियम की धारा 37 के अधीन राज्य सरकार को उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा, जो अन्तिम होगा.

भाग—तीन

राज्य परिषद् के सभापति का निर्वाचन

राज्य परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर—

(1) राज्य परिषद् का कार्यालय प्ररुप सात में एक रजिस्टर रखेगा जिसमें उन सदस्यों के, जो समय-समय पर राज्य परिषद् के लिए निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किए गए हों, नाम तथा अन्य ब्यौरे दिये जायेंगे.

(2) **राज्य परिषद् के सभापति के निर्वाचन के लिए प्रक्रिया—**

(क) राज्य परिषद् के सभापति का निर्वाचन, यथास्थिति उक्त परिषद् के गठन या पुनर्गठन के पश्चात् उसके प्रथम अधिवेशन में उस परिषद् के सदस्यों द्वारा अपनों में से किया जावेगा.

(ख) रजिस्ट्रार, उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को इस बात के लिए आमंत्रित करेगा कि वे उक्त सभापति पद के लिए अपने नामनिर्देशित करें. प्रत्येक नामनिर्देशन किसी ऐसे दूसरे सदस्य द्वारा, जो उस अधिवेशन में उपस्थित हो, समर्थक के रूप में समर्पित किया जायेगा.

परंतु कोई भी सदस्य उक्त सभापति पद के लिये एक से अधिक सदस्यों का नामनिर्दिष्ट नहीं करेगा, या उनका समर्थन नहीं करेगा.

(ग) यदि एक ही व्यक्ति इस प्रकार नामनिर्दिष्ट हो तो उसे राज्य परिषद् के सभापति के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

(घ) तथापि यदि उक्त सभापति पद के लिए सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट तथा समर्थित रूप से एक से अधिक व्यक्ति है तो रजिस्ट्रार निम्नलिखित रीति से मत देने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात्-

(एक) प्रत्येक उपस्थित सदस्य को एक परची दी जायेगी जो उस पर निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों में से किसी एक ऐसे अभ्यर्थी का नाम लिखेगा जिसके पक्ष में सदस्य अपना मत देना चाहता है, तब वह परची को मोड़ेगा और रजिस्ट्रार को सौंप देगा.

(दो) समस्त पर्चियां प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये मतों की गणना करेगा और उस सदस्य को, जिसे अधिकतम संख्या में मत प्राप्त हुये हैं, राज्य परिषद् का सभापति के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित किया गया घोषित करेगा.

(तीन) यदि निर्वाचन लड़ने वाले दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये मत बराबर हो तो और जिसके कारण यह निश्चित करना कठिन हो जाये कि किसने सबसे अधिक मत प्राप्त किये हैं तो रजिस्ट्रार ऐसी रीति में लाट डालकर जैसा वह उचित समझे विषय को विनिश्चित कर सकेगा और इस प्रकार से व्यक्ति को राज्य परिषद् के सभापति के रूप सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

भाग—चार

राज्य परिषद् के कारबार के संव्यवहार की प्रक्रिया

5. **कारबार का समय तथा स्थान—**

(1) राज्य परिषद् के कारबार के अधिवेशन ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा कि उसके सभापति द्वारा विनिश्चित किया जाय, साधारणत: प्रत्येक तीन माह में एक बार होंगे :

परन्तु चुना गया स्थान छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर होगा.

(2) राज्य परिषद् का सभापति, उक्त राज्य परिषद् के कारबार के अधिवेशन के दौरान उसके अस्थायी अधिवेशन की तारीख विनिश्चत कर सकेगा.

(3) राज्य परिषद् का विशेष अधिवेशन, उक्त सभापति द्वारा सात दिन की सूचना पर किसी भी समय आहूत किया जायेगा.

(4) किसी वित्तीय वर्ष में आयोजित राज्य परिषद् का प्रथम अधिवेशन उस वर्ष के लिए ऐसी परिषद् का वार्षिक अधिवेशन होगा.

(5) उपनियम (3) के अधीन आहूत विशेष अधिवेशन से भिन्न प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त, उक्त अधिवेशन के पश्चात् अधिक से अधिक तीस दिन के भीतर राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रार द्वारा दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक से प्रेषित कर दिये जायेंगे.

(6) राज्य परिषद् के साधारण त्रैमासिक अधिवेशन की प्रारंभिक कार्यसूची (एजेन्डा) में दी गयी कारोबार की मदों की प्रज्ञापना रजिस्ट्रार द्वारा सदस्यों को अधिवेशन से पर्याप्त पूर्व लिखित में दी जायेगी, और किसी भी दशा में यह प्रज्ञापना अधिवेशन के लिए नियत तारीख से कम से कम 30 दिन पूर्व दी जायेगी.

(7) तथापि किसी विशेष अधिवेशन की दशा में, रजिस्ट्रार उस अधिवेशन के लिये नियत तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व उक्त अधिवेशन के लिए सूचना के साथ ही साथ उस अधिवेशन के लिए प्रस्तावित कार्यसूची में दी गई कारोबार की मदे जारी करेगा.

(8) कोई भी सदस्य जो ऐसा कोई प्रस्ताव रखना चाहता है जो उसके किसी (साधारण) अधिवेशन की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है, या जो कार्यसूची की किसी ऐसी मद में जो इस प्रकार सम्मिलित की गयी हो, कोई संशोधन प्रस्तावित करना चाहता है, वह उसकी सूचना, अधिवेशन के लिए नियत की गयी तारीख से कम से कम 15 दिन पूर्व रजिस्ट्रार को लिखित रूप में देगा तत्पश्चात् रजिस्ट्रार राज्य परिषद् के सभापति से परामर्श करके ऐसी किसी प्रार्थना को अधिवेशन की अंतिम कार्यसूची में समायोजित करेगा.

(9) कारबार सत्र-राज्य परिषद् के प्रत्येक अधिवेशन का सभापतित्व उसके सभापति द्वारा जब वह उपस्थित हो, या उसकी अनुपस्थिति में ऐसे किसी अन्य सदस्य द्वारा, जिसे उपस्थित सदस्यों ने अपने में से उस अधिवेशन का सभापतित्व करने के लिए चुना हो, किया जायेगा.

(10) (क) राज्य परिषद् के किसी भी अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति उस परिषद् की नियत संख्या के एक तिहाई से कम की नहीं होगी.

(ख) यदि अधिवेशन के लिए नियत समय पर गणपूर्ति नहीं हो तो अधिवेशन तब तक प्रारंभ नहीं होगा जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती है और यदि नियत समय से एक घंटे की समाप्ति के पश्चात् भी गणपूर्ति नहीं हो तो अधिवेशन उसी तिमाही की आगामी ऐसी तारीख तथा समय तक स्थगित हो जायेगा जैसे कि राज्य परिषद् का सभापति नियत करें.

(11) राज्य परिषद् के किसी अधिवेशन के समक्ष लाये गये समस्त प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जायेगा.

(12) मत बराबर होने की दशा में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का निर्णायक मत होगा.

(13) राज्य परिषद् के साधारण या विशेष प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि उसके सभापति को अधिवेशन होने के दो दिन के भीतर प्रस्तुत की जावेगी और उसके द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार प्रत्येक सदस्य को भेज दी जायेगी.

भाग—पांच

6. कार्यपालिका तथा अन्य समितियां—

(1) राज्य परिषद् अधिनियम की धारा 40 के अधीन अपने सदस्यों में से एक कार्यपालिका समिति और ऐसे प्रयोजनों के लिए जो आवश्यक समझे जाये, अन्य समितियां इस आशय के प्रस्ताव को अंगीकृत कर नियुक्त कर सकेगी, तथा वह स्वयं उक्त प्रस्ताव में ऐसी समिति के प्रयोजनों तथा कृत्यों को परिभाषित कर सकेगी.

(2) राज्य परिषद् विशेष रूप से अर्हित किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भी कार्यपालिका समिति से भिन्न किसी समिति को किसी विषय पर सलाह देने के लिए, इस आशय के प्रस्ताव को अंगीकृत करके, सहयोजित कर सकेगी.

(3) कार्यपालिका समिति का या अन्य समितियों के अधिवेशन के किये गणपूर्ति संबंधित समिति (समितियों) की नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट की जायेगी और इस संबंध में नियुक्त किये गये सदस्यों के साधारण बहुमत से कम की नहीं होगी.

(4) इस प्रकार से नियुक्त की गयी कार्यपालिका समिति या अन्य समितियां राज्य परिषद् के रजिस्ट्रार को उन विषयों के संबंध में, जो उक्त समिति (समितियों) को नियुक्त करने वाले प्रस्ताव (प्रस्तावों) में निर्दिष्ट हुई हो, रिपोर्ट उस समय के भीतर जो उक्त प्रस्ताव (प्रस्तावों) में इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किया गया हो, करेगी.

(5) असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, अधिनियम की धारा 40 के साथ पठित उपनियम (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा नियुक्ति की गई किसी भी समिति को दिये गये समय में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी.

(6) रजिस्ट्रार उस समिति के आगामी अधिवेशन में राज्य परिषद् के समक्ष समिति की उक्त रिपोर्ट रखेगा.

भाग — छः

7. **सभापति और राज्य परिषद् के अन्य सदस्यों को तथा (राज्य परिषद् के सदस्यों से भिन्न) समितियों के अन्य सदस्यों की फीस तथा भत्ते—**

(1) राज्य परिषद् के सभापति को तथा ऐसे अन्य सदस्यों को जो राज्य सरकार के पदाधिकारियों तथा पदेन सदस्यों से भिन्न हो, उक्त परिषद् तथा समिति (समितियों) के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए अधिनियम की धारा 41 के अधीन ऐसे यात्रा भत्ते संदत्त किये जायेंगे जो कि छत्तीसगढ़ सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को अनुज्ञेय है.

(2) राज्य परिषद् के सदस्यों से भिन्न समिति के सदस्यों को भी समितियों के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए उसी प्रकार यात्रा भत्ते संदत्त किये जायेंगे.

(3) तदापि राज्य सरकार के वे पदाधिकारी जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये हों, और पदेन सदस्य भी अपने-अपने कार्यालयों/संगठनों से सरकार संस्था के नियमों के अनुसार यात्रा भत्तों तथा अन्य भत्तों को प्राप्त करने के हकदार होंगे.

(4) जहां तक अशासकीय सदस्यों के दैनिक भत्तों का संबंध है, वे छत्तीसगढ़ सरकार के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के बराबर होंगे.

(5) राज्य परिषद् के सभापति तथा ऐसे शासकीय पदाधिकारियों से जो सदस्य हो, भिन्न समस्त सदस्यों को राज्य परिषद् या कार्यपालिका समिति या अन्य समितियों में उपस्थित होने के लिए 50/- रुपये की फीस संदत्त की जायेगी.

(6) राज्य परिषद् के सभापति को यदि, वह राज्य सरकार का पदाधिकारी न हो, राज्य परिषद् के हर अधिवेशन के लिए 100/- रुपये (एक सौ रुपये) तथा अन्य अधिवेशनों के लिए मात्र 50/- (पचास रुपये मात्र) की फीस संदत्त की जायेगी.

(7) जहां राज्य परिषद् के सभापति से भिन्न उसका कोई सदस्य उपनियम-पांच (9) के अधीन उक्त परिषद् के अधिवेशन का सभापतित्व करता है वहां उसे 100/- (रुपये सौ मात्र) की फीस संदत्त की जायेगी.

भाग—सात

8. **रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें—**
रजिस्ट्रार की तथा राज्य परिषद् द्वारा नियुक्त किये गये अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा के निबंधन तथा शर्तें वैसी होंगी जो छत्तीसगढ़ राज्य सेवा नियमों के अधीन राज्य सरकार के ऐसे ही पदाधिकारियों को लागू है.

भाग—आठ

9. **राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर—**
राज्य परिषद् अधिनियम की धारा 44 के अधीन उपबंधित किये गये अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर प्ररुप आठ में रखेगा जिसमें उन व्यक्तियों के जो मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हतायें रखते हैं, और अधिनियम के अधीन राज्य परिषद् में रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं, नाम तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां होंगी.

भाग—नौ

10. **रजिस्ट्रीकरण तथा पुन: रजिस्ट्रीकरण फीस के लिए आवेदन—**

(1) प्रत्येक व्यक्ति जो मान्यता प्राप्त पशु चिकित्सा अर्हता धारण करता है, और छत्तीसगढ़ राज्य में निवास करता है तथा जो अपना नाम राज्य परिषद् में रजिस्ट्रीकरण कराना चाहता है, यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण, अधिकरण रजिस्ट्रार को जो स्वयं अपने द्वारा सम्यक् रूप से भरे गये हस्ताक्षरित प्ररुप नौ में आवेदन करेगा.

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ 25/- (पच्चीस रुपये केवल) रजिस्ट्रीकरण फीस संलग्न होगी.

(3) राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में उस व्यक्ति का नाम प्रविष्ट किये जाने पर रजिस्ट्रार उसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्ररुप दस में जारी करेगा.

11. **रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीनीकरण फीस—**

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जो राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम बनाये रखने की वांछा रखता है, राज्य परिषद् को प्रत्येक पांच वर्षों में 15 (पन्द्रह रुपये मात्र) रजिस्ट्रीकरण, नवीनीकरण फीस उस वर्ष के लिए जिसमें उसके रजिस्ट्रीकरण का नवीनीकरण होना है. अप्रैल से पूर्व संदाय करेगा.

(2) जहां उक्त नवीनीकरण उपनियम (1) में वर्णित कालावधि के भीतर संदत्त नहीं की जाती वहां उस व्यतिक्रमी का नाम उक्त रजिस्टर में से हटा दिया जावेगा और वह नाम नवीनीकरण फीस का ऐसे जुर्माने सहित, जो ऐसे प्रत्येक एक माह या उसके भाग के लिए जिसके कि दौरान उसने व्यतिक्रम किया हो, पांच रुपये का होगा, संदाय किये जाने के पश्चात् ही पुन: स्थापित किया जावेगा.

12. **नाम का पुन: स्थापना किये जाने के फीस—**

अधिनियम की धारा 49 के अधीन राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में हटाये गये किसी नाम के पुन: स्थापना के लिए फीस पच्चीस रुपये होगी.

13. **राज्य पशु चिकित्सा के रजिस्टर का खर्च—**

राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर की प्रतिलिपि लेने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से उदग्रहणीय प्रभार रुपये 10/- (दस रुपये मात्र) होगा.

14. **रजिस्ट्रीकरण का अंतरण—**

(1) जहां किसी एक राज्य का रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी किसी अन्य राज्य में पशु चिकित्सा औषधि का व्यवसाय कर रहा हो वहां वह प्रथम वर्णित राज्य के जिसमें वह रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्टर से द्वितीय वर्णित राज्य के, जिसमें वह व्यवसाय कर रहा है, रजिस्टर में अपने नाम के अंतरण के लिए प्ररुप ग्यारह में आवेदन कर सकेगा.

(2) ऐसे अंतरण के लिए आवेदन के साथ ऐसी फीस संलग्न होगी जो उस फीस से अधिक नहीं होगी जो कि संबंधित द्वितीय वर्णित राज्य द्वारा अधिनियम की धारा 48 के अधीन अपनी राज्य परिषद् के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के लिए विहित की गयी है.

15. **प्रमाण-पत्रों की दूसरी प्रति का जारी किया जाना—**

(1) अधिनियम की धारा 54 के अधीन राज्य परिषद् का रजिस्ट्रार यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र या नवीनीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति 10/- रु. (दस रुपये मात्र) फीस का संदाय किये जाने पर जारी करेगा.

(2) उक्त प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति प्ररुप बारह में होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

प्ररुप—एक

[नियम 3 के उपनियम (4) तथा (5) में देखिये]

निर्वाचक, नामावली में नाम के सम्मिलित किये जाने के लिए दावा

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद्,
रायपुर

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित किये के लिए अपना दावा उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियमों के नियम 3 (4) तथा 3 (5) के अधीन दाखिल करता हूं, सुसंगत ब्यौरे निम्नानुसार है :-

नाम (बड़े अक्षरों में) : ....
पता : ....
शैक्षणिक अर्हतायें : ....
पदाभिधान तथा कार्यालय का पता : ....
यदि कोई हो : ....
दावा के लिए आधार : ....
(सबूत सहित यदि कोई हो) : ....

मैं घोषित करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं, छ. ग. राज्य में निवास कर रहा हूं तो छत्तीसगढ़ राज्य में पशु चिकित्सा औषधि का व्यवसाय कर रहा हूं/नियोजित हूं.

....
(दावेदार के हस्ताक्षर)

स्थान ....

तारीख ....

नाम- ....

रजिस्ट्रेशन क्रमांक ....

प्ररुप—दो

[नियम 3 (4) तथा (5) में देखिये]

निर्वाचक नामावली के प्ररुप में किसी प्रविष्टि की बाबत आक्षेप

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद्,
रायपुर

महोदय,

मैं एतद्द्वारा भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छ.ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए होने वाले निर्वाचन के संबंध में आपके द्वारा तैयार की गयी निर्वाचक नामावली के प्ररुप में की निम्नलिखित प्रविष्टि की बाबत अपना आक्षेप उक्त अधिनियम के अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियमों के नियम 3 (4) तथा 3 (5) के अधीन दाखिल करता हूं-

1. निर्वाचक नामावली के प्ररुप में जिस व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि की बाबत आक्षेप किया गया है, उस व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) ....
....

2. जिस प्रविष्टि की बाबत आक्षेप किया गया है उसकी (विशिष्टियां) विवरण ....

3. प्रविष्टि की बाबत आक्षेप किये जाने के आधार ....

....

(आक्षेपकर्त्ता के हस्ताक्षर) ....

स्थान...

निर्वाचक नामावली के प्ररुप ....

तारीख.........................

में दर्ज आक्षेपकर्त्ता का क्रम सं. ....

तथा नाम आक्षेपकर्त्ता का पता ....

....

(प्रति हस्ताक्षर)
निर्वाचक नामावली के प्ररुप ....

में दर्ज प्रतिहस्ताक्षर करने वाले ....

व्यक्ति का क्रम सं. तथा नाम ....

प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले ....

व्यक्ति का पता ....

प्ररुप—तीन

[नियम 3 (9) देखिये]

नामनिर्देशन-पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का संख्या 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिये निर्वाचन

1. अभ्यर्थी का नाम : ....

2. पिता का नाम : ....

3. आयु तथा जन्म की तारीख : ....

4. अर्हता की प्रकृति : ....

5. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक (जो राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में हो) : ....

6. राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का वर्ष का उल्लेख करते हुए, पृष्ठ सं. जिसमें नाम आया हो. : ....

7. नामावली में क्रम संख्यांक : ....

8. पता गृह क्रमांक : ....
   ब्लाक/गली क्रमांक :
   ग्राम/नगर :
   डाकघर :
   पिनकोड :

9. प्रस्थापक का नाम : ....

10. प्रस्थापक के हस्ताक्षर : ....

11. राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में प्रस्थापक का रजिस्ट्रीकरण क्रमांक और उक्त रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का (वर्ष का उल्लेख करते हुए) पृष्ठ क्रमांक जिसमें नाम आया हो. : ....

12. नामावली व क्रम संख्या : ....

13. समर्थक का नाम : ....

14. समर्थक के हस्ताक्षर : ....

15. राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में समर्थक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक और उक्त रजिस्टर का या उसके अनुपूरक रजिस्टर का (वर्ष का उल्लेख करते हुये) पृष्ठ संख्या जिसमें नाम आया हो. : ....

16. नामावली में क्रम संख्या : ....

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं, कि मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति (सहमति) देता हूं.

....
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

यह नामनिर्देशन-पत्र मुझे ....(स्थान) में ....

(तारीख) ....को (बजे) ....प्राप्त हुआ.

....
(रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर)

अनुदेश

नामनिर्देशन-पत्र जो रिटर्निंग आफिसर को ....(तारीख) को .... (बजे) से पूर्व प्राप्त न हो अविधिमान्य होंगे.

प्ररुप—चार

[नियम 3 (14) (ख) देखिये]

मतपत्र

मतपत्र का संख्यांक ....

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए ....सदस्य निर्वाचित किया जाना है/किये जाने हैं.

क्रम संख्यांक (1)	सम्यक् रूप से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों के नाम तथा पते (2)	मत (3)
1		
2		
3		
4		

रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर/अनुलिपि हस्ताक्षर

अनुदेश

1. हर निर्वाचक को उतने अभ्यर्थियों के लिए मत देने का अधिकार है, जितनी संस्था में सदस्य निर्वाचित किये जाते हैं.

2. वह जिसे अभ्यर्थी (जिन अभ्यर्थियों) को मत देना चाहता हो उसके नाम (उनके नाम) के सामने चिन्ह X लगाकर मत देगा,

3. मतपत्र अविधिमान्य हो जावेगा यदि :-

   (क) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर या अनुलिपि हस्ताक्षर नहीं है, या

   (ख) मतदाता उस पर (मतपत्र पर) अपने हस्ताक्षर कर देता है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिख देता है अथवा उस पर कोई ऐसा चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचाना जा सकता है कि वह उसका मतपत्र है, या

   (ग) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, या

   (घ) चिन्ह X इस प्रकार से लगाया गया हो कि जिससे यह शंका हो जाती है कि किस अभ्यर्थी के लिए आशयित है, या यदि वह निर्वाचित किये जाने के लिए आपेक्षित अभ्यर्थियों से अधिक अभ्यर्थियों के नाम सामने लगाया गया है.

प्ररुप—पांच

[नियम 3 (14) (ख) देखिये]

घोषणा-पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का संख्या 52) की धारा 32 (1) (क) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन

निर्वाचक का नाम ....

राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में दिया गया संख्यांक और उस रजिस्टर या उसके (अनुपूरक) रजिस्टर (वर्ष का उल्लेख) करते हुये का वह पृष्ठ संख्यांक ....

जिसमें उसका नाम आया हो ....

निर्वाचक की घोषणा

मैं .... (पूरा नाम तथा पदाभिधान, यदि कोई हो) घोषणा करता हूं कि मैं भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड "घ" के अधीन निर्वाचक मण्डल द्वारा किये जाने वाले छ. ग. राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक हूं और यह कि मैंने इस निर्वाचन के लिए कोई अन्य मतपत्र नहीं प्रस्तुत किया है.

स्थान ....

....

निर्वाचक के हस्ताक्षर

तारीख ....

प्ररुप—छह

[नियम 3 (14) (ख) देखिये]

प्रज्ञापना-पत्र

महोदय/महोदया

बंद मतपत्र पर जिन व्यक्तियों के नाम मुद्रित हैं, वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 (1) (क) के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किये गये हैं. यदि आप इस निर्वाचन में मत देना चाहते हैं, तो मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि :-

1. (क) आप घोषणा-पत्र (प्ररुप-पांच) में भरें तथा उस पर हस्ताक्षर करें,
   (ख) आप मतपत्र (प्ररुप-चार) में इस प्रयोजन के लिए उपबंधित कालम में अपना मत इस प्रकार चिन्हित करें जैसा मतपत्र में निर्देशित किया गया है.
   (ग) आप मतपत्र छोटे लिफाफे में बंद कर दें और उसे (लिफाफे को) चिपका दें और
   (घ) आप मतपत्र छोटे लिफाफे में जो बड़ा है और जिस पर मेरा पता पहले से ही मुद्रित है छोटा लिफाफा तथा घोषणा पत्र बंद कर दें और आप अपने खर्चे से डाक द्वारा मुझे ऐसे लौटा दें/या उसे व्यक्तिश: मेरे कार्यालय में परिदत्त कर दें ताकि वह .... 20 .... को .... तक पहुंच जाये.

2. मतपत्र-प्रतिक्षेपित कर दिया जायेगा, यदि-
   (क) बाह्य लिफाफा, जिसमें मतपत्र लिफाफा तथा घोषणा-पत्र बंद है, डाक द्वारा नहीं भेजा जाता है, या वह व्यक्तिश: मेरे कार्यालय में परिदत्त नहीं कर दिया जाता है या मतदान बंद होने के लिए नियत समय के पश्चात् वह प्राप्त होता है, या
   (ख) छोटे लिफाफे के बाहर कोई घोषणा-पत्र बाह्य लिफाफे में नहीं है, या
   (ग) यदि मतपत्र लिफाफे के बाहर रखा गया है, या
   (घ) घोषणा-पत्र वह नहीं है, जो रिटर्निंग आफिसर द्वारा मतदाता को भेजा गया था, या
   (ङ) एक से अधिक घोषणा-पत्र या मतपत्र एक ही बाह्य लिफाफे में बंद किये गये हैं, या
   (च) घोषणा-पत्र निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, या
   (छ) मतपत्र अविधिमान्य है.

3. मतपत्र अविधिमान्य हो जायेगा, यदि-
   (एक) उस पर रिटर्निंग आफिसर के आद्याक्षर या अनुलिपि हस्ताक्षर नहीं है, या
   (दो) मतदाता मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर कर देता है या उस पर कोई ऐसा शब्द लिख देता है या उस पर कोई चिन्ह बना देता है जिससे यह पहचाना जा सकता है कि वह उसका मतपत्र है, या
   (तीन) उस पर कोई मत अभिलिखित नहीं किया गया है, या
   (चार) उस पर अभिलिखित मतों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाली संख्या से अधिक हो जाती है, या
   (पांच) वह प्रयोग किये गये मतपत्र की अनिश्चितता के कारण शून्य है.

4. यदि कोई मतदाता अनवधानता से मतपत्र खराब कर देता है तो वह निर्वाचन के लिए नियत तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व रिटर्निंग आफिसर को वह मतपत्र लौटा सकता है जो (रिटर्निंग आफिसर) यदि उसका ऐसी अनवधानता से समाधान हो जाये, उसे अन्य मतपत्र जारी करेगा.

5. मतपत्रों की संवीक्षा तथा गणना .... (तारीख) को .... बजे शुरु होगी.

6. रिटर्निंग आफिसर के तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों के जिन्हें वह अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें और अभ्यर्थियों या उनके सम्यक् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधियों के सिवाय कोई भी अन्य व्यक्ति संवीक्षा तथा गणना के समय उपस्थित नहीं रहेगा.

....

रिटर्निंग आफिसर

प्ररुप—सात

[नियम 4 (1) देखिये]

छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के सदस्यों का रजिस्टर

संख्यांक	नाम (बड़े अक्षरों में) तथा जन्म तारीख	पता	निर्वाचित है या नामनिर्दिष्ट	खण्ड जिसके अधीन निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

राजपत्र में नाम की अधिसूचना की संख्या तथा तारीख	पदावधि प्रारंभ होने की तारीख	पदावधि के पर्यवसान की नियत तारीख	नियत तारीख के पूर्व पदावधि के पर्यवसान होने की तारीख तथा उसके लिये कारण- यदि कोई हो	टिप्पणियां यदि कोई हो
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररुप—आठ

(नियम 9 देखिये)

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 44 के अधीन रखा गया छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर

संख्यांक	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) तथा जन्म तारीख	राष्ट्रीयता	निवास का पता	राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में प्रवेश की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता		अर्हता प्रदान करने वाला प्राधिकारी तथा महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय	वृत्तिक पता, यदि कोई हो	स्थायी पता, यदि कोई हो
अर्हता	अर्हता प्राप्त करने का वर्ष तथा तारीख			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

अन्य शैक्षणिक अर्हतायें यदि कोई हों			वर्तमान उपजीविका		सेवानिवृत्त	टिप्पणियां
अर्हता	वह संस्था जिससे अर्हता प्राप्त की गई है	वर्ष तथा तारीख	शासकीय सेवा में	प्राइवेट व्यवसाय		
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

प्ररुप—नौ

[नियम 10 (1) देखिये]

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन पशु चिकित्सा व्यवसायों के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

प्रति,

सचिव,	रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रीकरण अधिकरण,	छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद्
रायपुर, छत्तीसगढ़	रायपुर

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरा नाम, पता, अर्हता तथा अन्य विशिष्टतायें जो इसके नीचे दी गई है, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन आपके द्वारा रखे जाने/रखे जा रहे छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण की जाय और यह कि मुझे ऐसे रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र सम्यक् अनुक्रम में जारी किया जाय.

2. मैं इसके साथ अपनी अर्हताओं के समर्थन में अपनी डिग्रियों/डिप्लोमाओं की मूल प्रतियां आपके सत्यापन हेतु संलग्न करते हुए प्रार्थना करता हूं कि उनका सत्यापन किये जाने के पश्चात् वे मुझे लौटा दी जाये मैं उनकी अनुप्रमाणित प्रतिलिपियां भी आपके अभिलेख हेतु संलग्न करता हूं.

3. इसके साथ विहित रजिस्ट्रीकरण फीस रुपये .... भी संलग्न मानदेय ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्यांक .... तारीख .... द्वारा जो क्रास कर दिया गया है तथा आपको..................... .... पर देय है, भेजी जाती है.

4. मेरी ऊपर निर्दिष्ट विशिष्टियां निम्नानुसार है :-

(क) पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) : ....

(ख) जन्म स्थान तथा जन्म तारीख : ....

(ग) राष्ट्रीयता : ....

(घ) निवास का पता : ....

(ङ) वृत्तिक पता : ....

(च) स्थायी पता : ....

(छ) पशु चिकित्सा संबंधी अर्हतायें : ....

अर्हता	उत्तीर्ण होने की तारीख तथा वर्ष	संस्था या विश्वविद्यालय

(ज) अन्य शैक्षणिक अर्हतायें यदि कोई हो : ....

(झ) वर्तमान उपजीविका-

(क) शासकीय सेवा : ....

(ख) प्राइवेट व्यवसाय : ....

(ग) सेवानिवृत्त व्यक्ति : ....

(ञ) कोई अन्य सुसंगत जानकारी : ....

5. मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ऊपर दी गई समस्त विशिष्टियां सही है.

भवदीय

स्थान ....

....

तारीख ....

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्ररुप—दस

[नियम 10 (3) देखिये]

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद्

क्रमांक .... तारीख ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि डाक्टर .... निवासी .... रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं और वे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन ऐसे व्यवसायियों को प्रदान किए गए समस्त विशेषाधिकारों के हकदार हैं. उक्त अधिनियम के अधीन यह रजिस्ट्रीकरण .... राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में लिया गया है.

इसके साक्ष्य स्वरूप .... राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की मुद्रा लगा दी गई है और उक्त राज्य परिषद् के रजिस्ट्रार ने हस्ताक्षर कर दिये हैं.

....

(रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर)

मुद्रा

यह प्रमाण-पत्र भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन स्थापित की गई छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् की संपत्ति है और वर्णित रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा संबंधी व्यवसायी को छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम 1993 के नियम 10 (3) के अधीन जारी किया जाता है.

प्ररुप—ग्यारह

[नियम 14 (1) देखिये]

रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी के नाम का एक राज्य के राज्य पशु चिकित्सा परिषद् रजिस्टर से दूसरे राज्य के राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में अन्तरण किये जाने के लिए

आवेदक

प्रति,

सचिव,
भारतीय पशु चिकित्सा परिषद्,

महोदय,

मैं डाक्टर .... निवासी .... वर्तमान में .... मैं पशु चिकित्सा औषधि का व्यवसाय कर रहा हूं और रजिस्ट्रीकृत पशु चिकित्सा व्यवसायी हूं मेरा नाम तथा अन्य सुसंगत विशिष्टियां भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1984 (1984 का सं. 52) के अधीन .... राज्य पशु चिकित्सा परिषद् में रजिस्ट्रीकृत की गई है. उक्त राज्य के पशु चिकित्सा रजिस्टर में मेरा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक .... है और उस रजिस्टर में उसके अनुपूरक रजिस्टर (वर्ष सहित) के पृष्ठ संख्यांक .... पर है.

2. चूंकि मैं उपर्युक्त रजिस्टर से .... राज्य के जहां मैं वर्तमान में पशु चिकित्सा .... औषधि व्यवसाय कर रहा हूं. पशु चिकित्सा रजिस्टर में अपना नाम तथा विशिष्टियां अन्तरित कराना चाहता हूं अत: मैं प्रार्थना करता हूं कि .... तथा .... की संबंधित राज्य पशु चिकित्सा परिषद् का इस आशय के आवश्यक निर्देश दिये जाये कि मेरा नाम विशिष्टियां .... राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर से हटा दी जाय और .... राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट की जाय. विहित फीस रुपये .... भी (जो अधिनियम की धारा 52 के अधीन उपबंधित किए अनुसार द्वितीय वर्णित .... राज्य में रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीनीकरण फीस के बराबर है) संलग्न मानदेय ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर संख्यांक .... तारीख .... द्वारा जो क्रॉस कर दिया गया है और उक्त द्वितीय वर्णित राज्य परिषद् के रजिस्ट्रार को देय है, भेजी जाती है.

भवदीय

स्थान ....

....
(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख ....

पूरा नाम ....

रजिस्ट्रीकरण संख्यांक ....

प्ररुप—बारह

(नियम 15 देखिये)

रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र/रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 के अधीन स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद्

रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण के प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति उसी पैटर्न पर होंगी जिस पैन्टर्न पर मूल प्रमाण-पत्र है परन्तु उक्त प्रमाण-पत्र के ऊपर दायें कोने में लाल स्याही से शब्द "दूसरी प्रति" मुद्रित किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2005

क्रमांक 1614/35/181/पचिप.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1614/35/181/पचिप, दिनांक 14 सितम्बर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच. एल. प्रजापति, सचिव.

Raipur, the 14th September 2005

NOTIFICATION

No. 1614/35/181/VC.— In exercise of the powers conferred by Section 65 read with Section 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52 and 54 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) the State Government hereby makes the following rules, namely :-

RULES

PART—I

Preliminary

1. **Short Title And Commencement—**

(1) These rules may be called the Chhattisgarh State Veterinary Council Rules, 2005.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in official Gazette.

2. **Definitions—**

(1) In these rules unless (otherwise) the context otherwise requires:—

(a) "Act" means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984);
(b) "Election or re-election" means election or re-election to the State Veterinary Council;
(c) "Form" means a form appended to these Rules;
(d) "Nomination" or 'Re-nomination" means nomination or re-nomination to the State Veterinary Council;
(e) "Registrar" means Registrar of the State Council;
(f) "State Council" means the Chhattisgarh State Veterinary Council established under Section 32 of the Act;
(g) "Section" means a Section of the Act;
(h) "Tribunal" means Registration Tribunal established under Section 45 of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not separately defined above shall have the same meaning as in the Act.

PART—II

Election to the State Council

3. **Notification for Election—**

(1) For purposes of electing the members of the State Council under Clause (a) of sub-section (1) of Section 32, the State Government of Chhattisgarh shall by a notification published in its official Gazette, call upon the persons enrolled in the Chhattisgarh State Veterinary Registrar maintained under chapter VII of the Act, (hereinafter referred to as, the registrar) to elect the said member, in accordance with the provisions of these rules.

(2) **Preparation of the roll—**

(a) As soon as may be after the notification under the rule 3 (1) is issued, the Registrar shall prepare the roll which shall contain the name of every person whose name is entered in the register.

(b) The names of the electors shall be arranged in the order in which they are entered in the register.

(4) **Period for lodging claims and objections—**
Every claim for inclusion of a name in the roll and every objection to an entry therein shall be lodged within a period of thirty days from the date of publication of the roll in draft under rule 3 (3) in forms I and II respectively.

(5) **Forms of claims and objections and the manner of their disposals—**

(a) Every claim shall be in the Form I and signed by the person desiring his name to be included in the roll.

(b) Every objection in Form -II to the inclusion of a name in the roll shall be preferred by a person whose name is already included in the roll and shall be countersigned by another person whose name is also included in that roll.

(c) Every such claim or objection, as the case may be, shall be examined by the registrar who shall record his remarks, thereon, following which he may either allow or reject the claim or objection.

Provided that claim or objection shall not be rejected unless the person making it is given as an opportunity of marking representation against such rejection.

(d) The decision of the Registrar allowing or rejecting a claim or objection shall be final.

(6) **Final publication of the Roll—**

(a) The Registrar shall, after disposing of the claims and objections, if any, under rule 3 (5) prepare a list of amendments to correct his decision under the said rule and to carry out any clerical or printing error and other inaccuracies in the roll subsequently discovered or brought to his notice.

(b) The Registrar shall publish the roll together with the list of amendments by making a complete copy thereof available for inspection by and displaying it at the office of the State Council.

(c) On such publication, the roll together with the list of amendments shall be the electoral roll of persons who may elect the members of the State Council under Clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the Act.

(d) A copy of the roll together with the list of amendments published under sub rule (b) shall be sent by the Registrar to the State Government.

(7) **Returning Officers and Assistant Returning Officers—**

(a) The State Government shall, after receipt of a copy of the electoral roll published under the rule 3 (6) designate or nominate a Returning Officer who shall be an officer of the State Government.

(b) The State Government may also appoint one or more persons, who shall also be officers of the State Government, to assist the Returning Officer in the performance of his functions as Assistant Returning Officers.

(c) Every Assistant Returning Officer shall be subject to the control of the Returning Officer; be competent to perform all or any of the functions of the Returning Officer:

Provided that no Assistant Returning Officer shall perform any of the functions of the Returning Officer which relate to the issue of voting papers, counting of voting papers, and declarations of results of election.

(8) **Appointment of date for Nomination etc—**

(a) The Returning Officer shall by notification in the Official Gazette of Chhattisgarh or in such other manner deemed fit, appoint,—

(i) the date for making nominations which shall be the 7th day after the date of publication of the said notification or if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday.

(ii) the last date for withdrawal of candidatures which shall be the second day after the date of Scrutiny of nominations or if that day is a public holiday the next succeeding day which is not a public holiday.

(iii) the date on which a poll shall, if necessary, be taken which shall be a date of not earlier then the 30th day after the last date for withdrawal of condidature; and date

(iv) the date, the time and the place for counting of votes and for declaration of results which shall not be beyond the 3rd day from the date of poll.

(b) The notification, issued under clause (a) above shall also invite nomination of candidates for election to the State Council and specify the place at which the nomination papers are to be delivered.

(9) **Presentation of nomination paper and requirements for valid nominations—**

(a) On or before the date appointed under sub-clause (i) of clause (a) of rule 3 (8) each candidate shall send by registered post with acknowledgement due or deliver in person to the Returning Officer a nomination paper in Form III.

(b) Every nomination paper shall be subscribed by two electors-one as the proposer and the other as the seconder and assented by the candidate proposed and seconded by them :

Provided that no elector shall subscribe as proposer or seconder more nomination papers than there are seats to be filled up :

Provided further that, if an elector subscribes to more number of nomination papers than there are seats to be filled up, the nomination papers first received by the Retorning Officer equal to the number of seats to be filled up shall, if they are otherwise in order, be held to be valid, and if all such nomination papers subscribed by the same elector in excess of the number of seats to be filled up are received, simultaneously, all such nomination paper shall held to be invalid.

(c) On receipt of each nomination paper the Returning Officer shall endorse thereon the date and the hour of its receipt.

(10) **Rejection of nomination papers—**

A nomination paper which is not received on or before the date appointed by the Returning Officer in that behalf shall be rejected.

(11) **Scrutiny of nomination papers—**

(a) On the date and the, time appointed by the Returning Officer for scrutiny of the nomination papers, the candidates and the proposer and the seconded of each candidate or other representatives duly authorised by the candidates in this behalf may attend the office of the Returning Officer who shall allow them to examine the nomination papers of all the candidates which have been received by him as aforesaid.

(b) The Returning Officer shall. examine the nomination papers thus received and decide all questions which may arise as to validity of any nomination and his decision thereon shall be final.

(12) **Withdrawal of candidature—**

(a) Any candidate may withdraw his candidature by notice in writing signed by him and delivered to the Returing Officer before the date fixed under sub-clause (iii) of clause (a) of rule 3 (8).

(b) A candidate who has withdrawn his candidature shall not be allowed to cancel the withdrawal or to be renominated as a candidate for the same election.

(13) Publication of the list of contesting candidates—

(a) Immediately after the expiry of the period within which candidatures may be withdrawn under rule 3 (12), the Returning Officer shall prepare and publish a list of contesting candidates that is to say, candidates who were validity nominated and who have not withdrawn their canditures within the said period.

(b) The said list shall contain the names (in alphabetical order) and the addresses of the contesting candidates as given in the nomination papers.

(c) The said list shall be published in the official Gazette of Chhattisgarh and be given wide publicity in such manner as the Returning Officer may deem fit.

(14) The Poll—

(a) If the number of duly nominated candidates for election does not exceed the number of members to be elected, the Returning Officer shall forthwith declare such candidates to be duly elected.

(b) If the number of such candidates exceeds the number of members to be so elected, the Returning Officer shall, not letter than 30 days before the date appointed for the poll send by airmail to every elector residing or practicing abroad and by post to every other elector within the State or outside it but within the country, a letter of intimation in Form (vi) together with a numbered declaration paper in Form V an voting paper in Form (iv) containing the names of the candidates in alphabetical order and bearing the Returning officer's initials or facsimile signature, a voting paper cover addressed to the Returning Officer and an outer cover also addressed to the said officer:

Provided that the voting paper and other connected papers may also be sent to any elector on his applying to the Returning Officer for the same before the date appointed for the poll, if the Returning Officer is satisfied that the papers have not been sent to him.

(c) A certificate of posting shall be obtained in respect of each and such letter of intimation sent to an elector.

(d) A elector who has not received the voting and other connected papers sent to him by the post or who has lost them or in whose case the papers before their return to the Returning Officer have been inadvertently spoilt, may transmit a declaration in writing to that effect and request the Returning Officer not letter than 15 days before the date appointed for the poll to send him fresh papers and if the papers have been spoilt papers shall be returned to the Returning Officer who shall cancel them on receipt.

(e) In every case in which such fresh papers have been issued a mark shall be placed against the number relating to the elector's name in the electoral roll to denote that fresh papers have been issued to him.

(f) No election shall be invalid by reason of non-receipt by an elector of his voting paper and other connected papers.

(g) Each elector shall have the right to vote for as many candidates as there are seats to be filled by the election and the vote shall be non-transferable.

(h) Every elector desirous of recording his vote shall after filling up the declaration paper (Form V) and the voting paper (Form IV) according to the directions given in the letter of intimation (Form VI) enclose the voting paper in the voting paper cover stick up and enclose the said cover alongwith the declaration paper in the outer envelope addressed to the Returning Officer, and send that outer envelope by post at the elector's own cost or by hand to the Returning Officer, so as to reach him not later than the appointed time for closure of voting on the date fixed, for the poll.

(i) On receipt by post or by hand, of the envelope containing the declaration paper and the closed cover containing the voting paper, the Returning Officer shall endorse on the outer envelope the date and the hour of its receipt.

(j) All envelopes received after the said day and hour shall be rejected.

(15) **Opening of the cover—**

(a) The Returning Officer shall open the outer envelope immediately after the appointed time for closure of voting on the date fixed for the poll at the place to which the envelopes are addressed to him.

(b) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing, to present at the time when the outer envelopes are opened.

(16) **Rejection of voting paper covers—**

(a) A voting paper shall be rejected by the Returning Officer,—

(i) the outer envelope containing no declaration paper outside the voting paper cover; or
(ii) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer;
(iii) the declaration paper or is not signed by the elector; or
(iv) the voting paper is placed outside the voting paper cover; or
(v) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed one and the same outer envelope.

(b) In each case of rejection, the word 'rejected' shall be endorsed on the paper cover and the declaration paper. The Reasons for the rejection shall also be recorded, in the brief, on the voting paper cover.

(c) After satisfying himself that the elector have affixed the signature to the declaration papers, the Returning Officer shall keep all declaration papers in safe custody pending disposal under rule 3 (19).

(17) **Scrutiny and counting of votes—**

(a) On the date appointed for the counting of votes, the voting papers covers other than those rejected under the rule 3 (16) shall be opened and the voting papers taken out and mixed together.

(b) The voting papers shall than be scrutinised and the valid votes counted.

(c) Any candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him, in writing to watch the process of counting.

(d) A voting paper shall be invalid if-

(i) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or
(ii) a voter signs his name on the voting paper or writes any words on it, or make a mark on it by which it become recognisable as his voting paper; or
(iii) no vote is recorded thereon; or
(iv) it is void for uncertainity of the vote recorded; or
(v) the number of votes recorded thereon exceeds on the number to be elected; or
(vi) the recording of the vote has been done at a place other than provided for the purpose.

(e) The Returning Officer shall show the voting papers to the candidates or their authorised representatives at the time of scrutiny and counting of votes, if so requested.

(f) If any candidate or his representative makes an objection to acceptance of a voting paper on the ground that it does not comply with the specified requirements, or to the rejection of a

voting paper by Returning Officer, it shall be decided at once by the Returning Officer whose decision thereon shall be final.

(g) The Returning Officer shall nominate such number of scrutinisers as he deems fit in accordance with such directions as may be issued in this behalf by the State Government.

(18) Declaration of results—

(a) When the counting of votes has been completed, the Returning Officer shall draw up a list of candidates in the order of highest votes polled by each and shall declare the result of the successful candidates in that order according to the number of seats to be filled up.

(b) If any candidate thus declared elected refuses to accept the election, than in the place of that candidate one of the remaining candidates to whom the next largest number of votes have been cast shall be deemed to have been elected and the same procedure shall be adopted by as after as a vacanvcy is caused in this way.

(c) When there is equality of votes among any two or more candidates then the person or persons, as the case may be, who shall be deemed to have been elected shall be determined by lots to be drawn by the Returning Officer or any other officer authorised by him in such manner as he may determine.

(d) The Returning Officer shall, as soon as the result is declared inform each successful candidate of his being elected to the State Council.

(19) Voting papers to be retained—

Upon the completion of the counting and after the result has been declared, the Returning Officer shall seal the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months, and shall not destroy or cause to be destroyed these records even after the expiry of the said six months with the previous concurrance of the State Government.

(20) Intimation of results of election—

(a) The Returning Officer shall intimate the names of the elected candidates to the State Government (for enabling it to fulfill its statutory obligation of publishing their names in the official Gazette of Chhattisgarh under sub-section (2) of Section 32 of the Act.)

(b) In case of any dispute regarding the election, which may be lodged with the Returning Officer within 15 days of declaration of the results of that election, it shall be referred to the State Government for its decision, under Section 37 of the Act which shall be final.

PART—III

Election of the President of the State Council

4. Register of Members of the State council—

(1) The Office of the State Council shall maintain a register in Form VII giving the name and other details of the members elected or nominated to it from time to time.

(2) Procedure for election of the president of the State Council—

(a) The election of the President of the State Council by the members of that council from amongst themselves shall be held at the first meeting of the said council after its constitution or re-constitutional as the case may be.

(b) The Registrar shall invite the members present at that meeting to make their nominations for the office of the said president. Each nomination shall be supported by another member present at : that meeting as the seconder :

Provided that no member shall nominate or second more than one member for the said presidentship.

(c) If there be only one person so nominated, he shall be declared duly elected as the president of the State Council.

(d) If, however, there be more than one member duly nominated and seconded for the said presidentship, the Registrar shall proceed to take ballots in the following manner, namely :

(i) a slip of paper shall be given to every member present who shall write on it the name of the one of the contestants in whose favour the member wishes to cast his vote He shall than fold the slip and hand it over to the Registrar.

(ii) on receipt of all the slips the registrar shall count the number of votes secured by each contestant and shall declare that number who secures the highest number of votes to be duly elceted as the president of the State Council.

(iii) if there is an equality in the votes secrued by two or more contestants thus making it difficult to decide as to who gets the maximum votes, the Registrar may then decide the issue by taking lost in such manner as he deems fit and person so identified by the draw of the lots shall be declared as duly elected as the president of the State Council.

PART—IV

Procedure for transaction of business of the State Council

5. **Time and place of business—**

(1) The business meeting of the State Council shall ordinarily be held once in every three months at such time and place as may be decided by its President :

Provided that the Place chosen shall be within the State of Chhattisgarh.

(2) The President of the State Council may in the course of a business meeting of the said Council decide the date for its next meeting.

(3) A Special meeting of the State Council, if deemed necessary shall be called by the said President on seven days notice at any time.

(4) The first-meeting of the State Council holding in any financial year shall be the annual meeting of that council, for that year.

(5) The minutes of every meeting other than a special meeting called under sub-rule (3) shall be dispatched by the registrar by hand or by registered post to every member of the State Council not later than 30 days after the said meeting.

(6) The items of business on the preliminary agenda of an ordinary quarterly meeting of the State Council shall be intimated to the members by the Registrar, in writing well in advance of the meeting and in any case not less than 30 (thirty) days prior to the date fixed for the meeting.

(7) In the case of a special meeting, however, the Registrar shall, not less than seven days before the date fixed for that meeting issue along with the notice for the said meeting the items of business on the agenda proposed for that meeting.

(8) A member who wishes to move any motion not included on the agenda for an ordinary meeting or to move an amendment to any item of agenda so included, shall give notice there of to the Registrar, in writing , not less than 15 days before the date fixed for the meeeting, there after the Registrar shall in consultation with the President of the State Council, accomodate such a request on the final agenda for the meeting.

(9) **The business session—**
Every meeting of the State Council shall be presided over by its President when present or, in his absence, by any other member chosen by the members present from amongst themselves to preside over that meeting.

(10) (a) The quorum necessary for transaction of business at a meeting of the State Council shall not be less than one third of the strength of the council.

(b) If at the time appointed for a meeting there is no quorum the meeting shall not. commence until there is a quorum and if even at the expiry of one hour from the appointed time there is no quorum the meeting shall stand adjourned to such future date and time in the same quarter as the President of the State Council may appoint.

(11) All questions which come up before any meeting of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(12) In the case of an equality of votes, the presiding person shall have a casting votes.

(13) A copy of the minutes of each meeting of the State Council whether ordinary or special shall be submitted to its President within two days of the meeting and after being attested by him and sent to each member as provided under sub-rule (5) 1.

PART-V

6. **Executive and other committee—**
(1) The State Council may under Section 40 of the Act, appoint from among its members an Executive Committee and other committees on the adoption of a motion to this effect for such purposes as it may consider necessary and define the purposes and functions of such committee in the said motion itself.

(2) The State Council may also co-opt any person or persons specially qualified to advise on any matter to any committee other than the Executive Committee, by adopting a motion to this effect.

(3) The quorum for a meeting of the Executive Committee or other Committee shall be specified at the time of appointment of the concerned Committee (s) and shall not be less than the simple majority of members appointed in this regard

(4) The Executive Committee and other committees so appointed shall report to the Registrar of the State Council on the matters referred in the motion (s) appointing the said Committee (s) within the time frame specified for this purposes in the motion (s).

(5) Save in exceptional circumstances, no extension of time shall be given to any committee appointed by the State Council under sub-rule (1) read with Section 40 of the Act.

(6) The Registrar shall place before the State Council the said report of the Committee at the next meeting of that Council.

PART-VI

7. **Fees and allowances to President and other members of the State Council and Members of the Committees** (other than members or the Staff Council)—
(1) The President and other members of the State Council other than the State Government officials and ex-officio members shall under Section 41 of the Act, be paid travelling allowances as admissible to Class I Officers of the Government of Chhattisgarh for attending the meeting of the said Council and committee(s).

(2) The members of the Committee other than the members of the State Council, shall also be paid likewise travelling allowances for attending the meeting of the committee.

(3) The State Government officials who are nominated by the Government of Chhattisgarh and ex-officio members shall however, be entitled for travelling and other allowances as per Government institution rules from their respective offices/organisations.

(4) As regards the daily allowances for non-official members they shall be paid amounts equivalent to those admissible to Class-I officials of the Government of Chhattisgarh.

(5) A fee of Rs. 50 (Rupees fifty only) shall be paid to all members other than the President of the State Council and Government officials who are members for attending a meeting of the State Council or the Executive Committee or the other committees.

(6) For the President of the State Council if he is not a State Government official, an amount of Rs. 100 (Rupees one hundred only) shall be paid for each meeting of the State Council and Rs. 50 (Rupees fifty only) for other meetings.

(7) Where a member of the State Council other than its President presides over a meeting of the said council under sub-rule 5 (9), he shall be paid a fee of Rs. 100 (Rupees one hundred only)

PART—VII

8. **Terms and conditions of service of Registrar and other officers and employees—**
The terms and conditions of service of the Registrar and of the other officers and employees appointed by the State Council shall be those applicable to similar State Government officials under the Chhattisgarh State Service Rules.

PART—VIII

9. **State Veterinary Register—**
The State Council, shall as provided for under Section 44 of the Act, maintain the State Veterinary register for Chhattisgarh in Form VIII containing the names and other relevant particulars of the persons possessing the recognised veterinary qualifications and registered with the State Council under the Act.

PART—IX

10. **Application for registration and registration fees—**

(1) Every person who holds a recognised veterinary qualification and resides in the State of Chhattisgarh and who desire his name to be registered with the State Council shall apply to the Registration Tribunal/ The Registrar, as the case may be, in Form-IX duly filled in and signed by himself.

(2) Every such application shall be accompanied by a registration fees of Rs. 25 (Rupees Twenty five only).

(3) On the entry of a person's name in the State Veterinary register, the Registrar shall issue to him a certificate of registration in Form X.

11. **Renewal fee for registration—**

(1) Any person desiring to retain his name in the State Veterinary register shall pay to the State Council every five years a registration renewal fee of Rs. 15/- (Rupees Fifteen only) before the 1st day of April of the year in which his registration renewal falls due.

(2) Where the said renewal fee is not paid within the period mentioned in sub rule (1) of the defaulter's name shall stand removed from the said register and shall be restored to it only after the payment of the said renewal fee with fine which shall be five rupees for every one month or part thereof his defalt.

12. Fee for restoration of a name—

The fee for restoration of a name removed from the State Veterinary register under Section 49 of the Act shall be twenty five rupees.

13. Cost of the State Veterinary register—

The charge leviable from persons applying for a copy of the State veterinary register shall be Rs. 10 (Rupees ten only).

14. Transfer of registration—

(1) Where a registered veterinary practitioners of one state is practising veterinary medicine in another State he may apply for the transfer of his name, in Form XI, from the register of the first state where he is registered to the registrar of the second state where he is practising.

(2) The application for such transfer shall be accompanied by a fee not exceeding the one prescribed by the concerned second state for renewal of registration with its state council under Section 49 of the Act.

15. Issue of duplicate certificates—

(1) A duplicate certificate of registration or renewal as the case may be shall be issued by the Registrar of the State Council under Section 54 of the Act on payment of a fee of Rs. 10 (Rupees ten only).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H. L. PRAJAPATI, Secretary.

FORM—I

[See sub-rules (4) and (5) of Rule 3]

CLAIM FOR INCLUSION OF A NAME IN THE ELECTORAL ROLL

To,

The Registrar,
Chhattisgarh State Veterinary Council,
Raipur (C. G.)

Sir,

I do hereby, file, under rules 3 (4) and 3 (5) of the Chhattisgarh State Veterinary Council rules framed under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984), my claim for inclusion of my name in the electoral roll for the ensuring election to the Chhattisgarh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (I) of Section 32 of the said Act. The relevant details are given below :—

Name (in block letters) : ....
Address : ....
Academic qualifications : ....
Designation and official address if any : ....
....
Grounds for the claim (with proof, if any) : ....

I declare that I am citizen of India, residing in Chhattisgarh State and Practicing veterinary medicine/ employed in Chhattisgarh State.

Place :

Date :

....
(Signature of claimant)

Name : ....
Registration No. ....

FORM—II

[See rules 3 (4) and 3 (5)]

OBJECTION TO AN ENTRY IN THE DRAFT ELECTORAL ROLL

To,

The Registrar,
Chhattisgarh State Veterinary Council,
Raipur (C. G.)

Sir,

I do hereby, file, under rules 3 (4) and 3 (5) of the Chhattisgarh State Veterinary Council rules framed under the Indian Council Act, (No. 52 of 1984), my objection to the following entry in the draft electoral roll prepared by you in connection with the ensuring election to the Chhattisgarh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (I) of Section 32 of the said Act :—

1. Name of the person (in block letters) the entry of whose name in the draft electoral roll is objected to : ....

2. Particulars of entry objected to ....

3. Grounds of objection to the entry ....

Place :

Date : ....

(Signature of objector)

Serial No. and name of objector as entered in the Draft Electoral Roll :

Address of objector :

Place : (Counter-signature)

Date : Serial No. and Name of the person countersigning, as entered in the Draft Electoral Roll.

Address of the person countersigning :

FORM—III
[See rules 3 (9)]

NOMINATION PAPER

Election to the Chhattisgarh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

1.	Name of the candidate	:	....
2.	Father's Name	:	....
3.	Age and Date of Birth	:	....
4.	Nature of Qualification	:	....
5.	Registered Number (in the State Veterinary Register)	:	....
6.	Page No. in the State Veterinary Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears.	:	....
7.	Serial No. in the roll.	:	....
8.	Address : House No.	:	....
	Block/ Street No.	:	....
	Village/Town	:	....
	Post Office	:	....
	Pin Code	:	....
9.	Name of the proposer	:	....
10.	Signature of proposer	:	....
11.	Registered No. of proposer in State Veterinary Register and the page No. in the said Register of its supplement (mentioning the year) in which the name appears.		
12.	S. No. in the roll.	:	....
13.	Name of Seconder	:	....
14.	Signature of Seconder	:	....
15.	Registered No. of seconder in the State Veterinary Register and the page No. in the said Register of its supplement (mentioning the year) in which the name appears.	:	....

16. S. No. in the roll. : ....

DECLARATION BY THE CANDIDATE

I hereby declare that I assent (agree) to this nomination

....

(Signature of the candidate)

This nomination paper was received by me at (Place) .... on (date) .... at (time) ....

....

(Signature of the candidate)

INSTRUCTIONS

Nomination papers which are not received by the Returning Officer before (hour) .... on the .... date will be invalid.

FORM—IV
[See rules 3 (14) (b)]

VOTING PAPER

Serial No. of Voting paper ....

.... member (s) is/are to be elected to the Chhattisgarh State Veterinary Council under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984).

S. No. (1)	Name and Address of candidates duly nominated (2)	Votes (3)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Initials/facsimile signature of Returning Officer :

INSTRUCTIONS

1. Each elector has the right to vote for as many candidates as the number of members to be elected.
2. He shall vote by placing the Mark 'X' opposite the name (s) of the candidate (s) whom he prefers.
3. The voting paper shall be invalid if.-
   (a) It does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature ; or
   (b) the voter signs his name or writes a word or makes any mark or it, which it becomes recognisable as his voting paper ; or
   (c) No vote is recorded thereon, or
   (d) If the mark, 'X' is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply, or if it is placed against the names of more number of candidates than X elected.

* Number to be indicated.

FORM—V
[See rules 3 (14) (b)]

DECLARATION PAPER

Election to the Chhattisgarh State Veterinary Council under Section 32 (1) (a) of Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

Elector's Name : ....

Number on the State Veterinary Register and page number in that Register or its supplement (mentioning the year) in which the name appears. : ....

ELECTOR'S DECLARATION

I ....(Name in full and Designation, if any) declare that I am an elector for the election of members to the Chhattisgarh State Veterinary Council of electorate under clause (d) of sub-section (1) of Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) and that I have submitted no other voting paper at this election.

Station :

....
Signature of Elector.

Date :

FORM—VI
[See rules 3 (14) (b)]

LETTERS OF INTIMATION

Sir / Madam,

The person whose names are printed on the enclosed voting paper have been duly nominated as candidates for election to the Chhattisgarh State Veterinary Council under Section 32 (1) of (a) of the Indian Veterinary Council Act. 1984 (No. 52 of 1984) should you desire to vote at the election, I request that you will-

1. (a) Fill up and sign the declaration paper (Form V)

   (b) Mark your vote in the column provided for the purpose in the voting paper (Form IV) as directed on the voting paper.

   (c) Enclose the voting paper in the smaller cover and stick it up, and

   (d) Enclose the smaller cover and the declaration paper in the outer envelope which is larger and on which my address is already printed and return the same to me by post at your cost or deliver in person in my office so as to reach me not later than .... on the .... of 20 ....

2. The voting paper will be rejected, if-

   (a) The outer envelope enclosing the voting paper cover and the declaration paper is not sent by post or not delivered in person in my office or received later the hour fixed for the closing of the poll; or

   (b) the outer envelope contains no declaration paper outside the smaller cover; or

   (c) the voting paper is placed outside the voting paper cover ; or

   (d) the declaration paper is not the one sent by the Returning Officer to the voter; or

   (e) more than one declaration paper or voting paper cover have been enclosed in one and the same outer envelope ; or

   (f) the declaration is not signed by the elector; or

   (g) the voting paper is invalid.

3. A voting paper will be invalid; if-

   (i) it does not bear the Returning Officer's initials or facsimile signature; or

   (ii) a voter signs his name on the voting paper, or writes any word on it or makes any mark by which it becomes recognisable as his voting paper; or

   (iii) no vote is recorded thereon; or

   (iv) the number of votes recorded thereon exceeds the number to be elected; or

   (v) it is void for uncertainity of the vote exercised.

4. If a voter inadvertently spoils a voting paper, he can return it, not later than 15 days before the date appointed for the poll to the returning officer who will, if satisfied of such inadvertance issue to him. another voting paper.

5. The scrutiny and counting of votes will begin on .... date at .... (hour).

6. No person shall be present at the scrutiny and counting except the Returning Officer, such other persons as he may appoint to assist him. the candidates or their duly authorised representatives.

Returning Officer

FORM—VII
[See rules 4 (1)]

REGISTER OF MEMBERS OF THE CHHATTISGARH STATE VETERINARY COUNCIL

S. No. (1)	Name (in block letters) and date of Birth (2)	Address (3)	Whether elected or nominated (4)	Clause under which elected or nominated (5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

No. and date of notification of name official Gazette (6)	Date of commencement of the term of office (7)	Due date of termination of office (8)	Date of and reason for the termination of office earlier than due date if any (9)	Remarks if any (10)

FORM—VIII
(See rules 9)

Chhattisgarh State Veterinary Register Maintained under Section 44 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

S. No.	Full Name (in block letters) and date of Birth	Nationality	Residental Address	Date of admission in state Veterinary Register
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Qualification for Registration		Authority College & University confering the qualification	Professional address if any	Permanent address if any
Qualification	Year with date of qualification			
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Other academic qualification, if any			Present occupation			Remarks
Qualification	Institution from which obtained	Year with date	Govt. Service	Private practice	Retired	
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

FORM—IX

[See rules 10 (1)]

Application for Registration as Registered Veterinary Practitioner under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

To,

The Secretary,
Registration Tribunal,
Chhattisgarh, Raipur

The Registrar,
Chhattisgarh State Veterinary Council,
Raipur (C.G.)

Sir,

I request that my name, address, qualification and other particulars as given hereunder may be registered in the Chhattisgarh State Veterinary Register to be being maintained by you under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) and that it may be issued with a certificate of such registration in due course.

2. I enclose herewith the originals of my degrees/ diploma in support of my qualifications for your verification and request that they may be returned to me when done with. I also enclose their attested copies for your record.

3. The prescribed Registration fee of Rupees .... is also sent herewith through the enclosed Demand draft/Indian postal order bearing No.............................. and date.............................. and crossed and made payable to your at ....

4. The above referred particulars of mine are as under :-

(a) Name in full (block letters) : ....

(b) Place and Date of Birth : ....

(c) Nationality : ....

(d) Residential Address : ....

(e) Professional Address : ....

(f) Permanent Address : ....

(g) Veterinary Qualification : ....

Qualification	Date and year of passing	Institution or University

(h) Other academic qualification, if any : ....

(i) Present Occupation-
   (a) Government Service
   (b) Private practice
   (c) Retired person

(j) any other relevant information :

5. I affirm that all the particulars given above are correct.

Place : Yours faithfully,

Date : (Signature of applicant)

FORM-X

[See rules 10 (3)]

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Chhattisgarh State Veterinary Council established under Section 32 of the Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

SEAL

No. .... Date ....

Sir,

This is to certify that Dr. ....
Resident of ....
has been duly registered as a Registered Veterinary Practitioner and is entitled to all the privileges granted to such practitioner's under the Indian Veterinary Council Act, 1984. This registration has been effected with the Chhattisgarh State Veterinary Council, under the said Act.

In witness where of are herewith affixed the seal of the State Veterinary Council and the signature of the Registrar of the said State Council.

SEAL

....
(Signature of Registrar)

This certificate is the property of the Chhattisgarh State Veterinary Council, established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) and is issued to the Registered Veterinary Practitioner mentioned above under rule 10 (3) of the Chhattisgarh State Veterinary Council rules, 1993.

FORM—XI

[See rules 14 (1)]

Application for transfer of the name of a Registered Veterinary Practitioner from State Veterinary Register of one State to that of another

To,

The Secretary,
Veterinary Council of

Sir,

I, Dr. .... resident of .... and at present practising veterinary medicine at .... I am a registered veterinary practitioner having got registered my name and other relevant particulars with .... State/Veterinary Council under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984). My registered number in the said state's veterinary register is .... and appears on page No. .... of that register/its supplement .... (with year).

2. As I am desirous of getting my name and particulars transferred from the register to the State Veterinary register of .... Where I am currently practising Veterinary Medicine. I request that, necessary directions may be given to the concerned State Veterinary Councils of .... and .... to the effect that my name and particulars be removed from .... State Veterinary register and entered in .... State Veterinary Register. The prescribed fee of .... Rupees (Equivalent to the renewal fee registration in the second state of .... as provided under Section 52 of the Act), is also submitted herewith through the enclosed Demand Draft, Indian Postal Order No. .... dated .... crossed and made payable to the Registrar of the above second state Council.

Place :

Date :

Yours faithfully,

(Signature of applicant)
Name in full : ....
Registered No. ....

FORM—XII
(See rules 15)

DUPLICATE CERTIFICATE OF REGISTRATION/RENEWAL OF REGISTRATION

Chhattisgarh State Veterinary Council Established under Section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984)

The duplicate certificate of registration of renewal of registration shall be on the same pattern as the original certificate, provided the word "DUPLICATE" shall be printed in red ink at the top right hand corner of the said certificate.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.